जिला सैक्टर–2004–05
संख्या 1590/xiii/04–5(38)/04

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसाईं,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

समस्त मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरांचल.

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग: देहरादून, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

विषय–जैव उर्वरक सूक्ष्म तत्व एवं हरी खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की अवमुक्ति विषयक.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक कृषि के पत्र संख्या 1735/लेखा/बजट/2004–05 देहरादून दिनांक 17.8.204 के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जैव उर्वरक सूक्ष्म तत्व एवं हरी खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम की आयोजनागत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्न विवरण के अनुसार कुल रूपया 22.28लाख (बाइस लाख अठाईस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी कर आपके निर्वतन पर प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है.

धनराशि लाख रूपये में

जनपद का नाम	सामान्य लेखा शीर्षक	जनजाति शीर्षक	योग
	2401–00–आयोजनागत 105–खाद एवं उर्वरक. 03–जैव उर्वरक सूक्ष्म तत्व एवं हरी खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम 00– 20–सहायक अनुदान	2401–00–आयोजनागत 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना. 08–जैव उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम– 00– 20–सहायक अनुदान	
नैनीताल	1.24	–	1.24
उधमसिंह नगर	–	2.86	2.86
अल्मोडा	1.50	–	1.50
पिथौरागढ	1.30	1.17	2.47
बागेश्वर	0.54	–	0.54
चम्पावत	0.65	–	0.65
देहरादून	0.40	3.95	4.35
पौडी	2.34	–	2.34
टिहरी	1.60	0.06	1.66
चमोली	1.40	0.78	2.18
उत्तरकाशी	1.10	0.79	1.89
रूद्रप्रयाग	0.60	–	0.60
योग	12.67	9.61	22.28

(बाइस लाख अठाईस हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि के जारी हो जाने के पश्चात प्रश्नगत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल 29.00लाख की धनराशि जारी हो जायेगी।

3 बजट मैनुवल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0–13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें।

4. अनुमोदित परिव्यय की सीमा से अधिक व्यय कदापि न किया जाय. धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन द्वारा समय समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय व व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय.

5. .व्यय करते समय बजट मैनुवल,वित्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर परचेज नियमो डी.जी.एस.एन्ड डी.अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

6. जिला योजना के लिए व्यय जनपदवार आवंटित परिव्यय एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं/परिव्यय के अनुरूप किया जाय।

7. व्यय की गयी धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

8. जारी की जा रही वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रूपया 12.67लाख में से रूपया 2.68 लाख सामान्य योजनान्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा अवशेष राशि रूपया 9.99 लाख स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा रूपया 9.61 लाख ट्राइबल सब प्लान हेतु व्यय अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के खेतों पर किया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्यय के अनुदान संख्या 17 प्रस्तार–1 में उल्लखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 428/वित्त अनु0–2/2004 दिनांक 8.10.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाईं)
अपर सचिव

संख्या 1590(1)/xiii/04–5(38)/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
4. सचिव, कृषि, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. अपर निदेशक कृषि को उनके उक्त पत्र दिनांक 17.8.2004 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित.
6. संयुक्त कृषि निदेशक,पौडी/नैनीताल.
7. समस्त जिलाधिकारी.
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरांचल।
9. वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग
10. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाईं)
अपर सचिव

G.O 2004-05